न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 110/2016

उनवान

1. घासी सिंह पुत्र छोगा सिंह,
2. रमती पत्नी छोगा सिंह जाति रावत नि. धोलादांता न्यारा, नसीराबाद
—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री रमेश सिंह रावत

बनाम

1. गोपाल,
2. कूका,
3. जय सिंह,
4. जडाव पि0 हजारी जाति रावत नि0 ग्राम धोलादांता न्यारा नसीराबाद,
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 4 अनुपस्थित
5 जरियें राज. पैराकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :– 17.9.24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प.म. न्यारा के वंर्किग खसरा नम्बर 1863 व 1864 के हाल खसरा नम्बर 1985/0.39, 1986/ 0.20, 1987/0.04, 1988/0.01, 1989/0.28, 1990/0.31 की आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है। चौसाला व वंर्किग जमाबंदी के अनुसार उक्त आराजी जरियें विरासत नामान्तकरण बालू पुत्र छगना, हजारी, हरजी पि. कल्ला एक हिस्सा दर्ज है। इस खातेदारी जमाबंदी के अनुसार बालू छगना हरजी पि. कल्ला के स्थान पर हजारी का नाम गलती से दर्ज हो गया। जबकि हजारी के पिता का नाम छगना है ना कि कल्ला वंर्किग जमाबंदी में दर्ज खातेदार बालू, छगना व हरजी कल्ला के वारिस है। हजारी कल्ला का पुत्र नही हो कर पौत्र हैं। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा भूमि को अन्य, हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा पर हजारी के वारिसों के स्थान पर छगना दर्ज किया जावे। छगना के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को वादीगण व अन्य वारिसों में बराबर–बराबर दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें [illegible] तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने जवाब पेश कर [illegible] अधिकारियों द्वारा कोई भी त्रुटिपूर्ण इन्द्राज रिकार्ड में नही किया गया है। वादीगण [illegible] कोई ऐसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:34:34 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दस्तावेज भी पेश नही किया गया है। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण हजारी पि. कल्ला के स्थान पर हजारी पि. छगना दर्ज कराना चाहते है, जबकि हाल इन्द्राज वंर्किग जमाबंदी के अनुसार सही आया है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादी वादग्रस्त आराजियात में खातेदारों के नाम त्रुटिपूर्ण होने से दुरूस्ती का अधिकारी है ?

—— वादीगण

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी घासी सिंह गवाह जय सिंह, रतन सिंह व रामदेव सिंह का शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

ग्राम व पटवार मण्डल न्यारा के हाल खसरा नम्बर 1985/0.39, 1986/ 0.20, 1987/0.04, 1988/0.01, 1989/0.28, 1990/0.31 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में हजारी पि. कल्ला 1 हिस्सा व अन्य खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 153/139 में हजारी पि. कल्ला व अन्य खातेदार के नाम दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 153/139 में आराजी मुतनाजा वंक्रिग खसरा नमबर 1863 व 1864 के साथ वंर्किग खसरा नम्बर 1861 व 1862 भी हजारी पि. कल्ला व अन्य खातेदार के नाम दर्ज है। वादीगण का कथन है कि हजारी के पिता का नाम कल्ला नही हो कर छगना है किन्तु हजारी पि. कल्ला ने इसी नाम से वंर्किग खसरा नम्बर 1861 व 1862 में अपना हिस्सा विक्रय किया है। चौसाला खसरा गिरदावरी में आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर 2062 से 2065 पर भी हजारी पि. कल्ला व अन्य खातेदार का नाम दर्ज है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा सभी राजस्व अभिलेख में हजारी पि. कल्ला के नाम से दर्ज है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिस मे हजारी के पिता का नाम छगना अंकित हो। वादीगण ने यह भी स्पष्ट नही किसा है कि छगना की विरासत कब दर्ज हुयी। वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत न्यारा द्वारा दिनांक 15.05.16 को जारी शजरा प्रमाण पत्र पेश किया है। उक्त शजरे में हजारी के वारिस प्रतिवादीगण अंकित है। वादीगण छोगा के वारिस है। अतः हजारी की आराजी पर वादीगण का हक व हिस्सा किस प्रकार निहित है यह भी वादीगण ने स्पष्ट नही किया है। हजारी के पिता का नाम कल्ला नही हो कर छगना है तो शजरा प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति पेश करनी थी। वादीगण को उक्त वाद पेश करके हजारी के पिता का नाम दुरूस्त कराने का कोइ विधिक अधिकार भी नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम व पटवार मण्डल न्यारा के हाल खसरा नम्बर 1985/0.39, 1986/ 0.20, 1987/0.04, 1988/0.01, 1989/0.28, 1990/0.31 की आराजी पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करेंगे। तद्नुसार की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:34:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमे इजाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

घासी बनाम गोपाल

दावा बाबत :– 88 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 110/2016
पेश करने की दिनांक – 30.06.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मुददई रमेश रावत अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम व पटवार मण्डल न्यारा के हाल खसरा नम्बर 1985/0.39, 1986/ 0.20, 1987/0.04, 1988/0.01, 1989/0.28, 1990/0.31 की आराजी पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें मं मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 9 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:34:34 IST
Reason: SelfAttested